संख्या-13/22/16/92/टीसी-III-का-2/2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक: 17 दिसम्बर, 2014

विषय:- राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनाँक 22 अक्टूबर, 2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2 उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनूसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-13 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके समसंख्यक अधिसूचना दिनाँक 29 जनवरी, 2014 के माध्यम से निम्नलिखित व्यवस्था कर दी गयी है-

"ऐसे व्यक्ति जिनकी निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रूपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक हो"।

3 समसंख्यक शासनादेश दिनाँक 22 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर-4 एवं उसके साथ संलग्न प्रारूप-1 को भी उपरोक्तानुसार संशोधित कर दिया गया है।

4 उक्त शासनादेशक के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनाँक 22 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर-4 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा संशोधित संलग्न प्रारूप के अनुसार जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय।

5 कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-13/22/16/92/टीसी-।।।-का-2, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रमुख सचिव/सचिव, मा0मुख्यमंत्रीजी।
2 निजी सचिव, मा0मंत्रिगण को मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3 निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
4 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
6 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7 समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13 गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. सुपुत्र/सुपुत्री श्री..................................निवासी...................ग्राम ....तहसील.................... ....नगर................................जिला...............उत्तर प्रदेश राज्य की ....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी....................................... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम..............................तहसील..........................नगर.................जिला.....................में सामान्यतया रहता है।

स्थान

दिनॉक

मुहर

हस्ताक्षर...........................

पूरा नाम............................

पदनाम............................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रारूप-।।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. सुपुत्र/सुपुत्री श्री...................................निवासी................ग्राम..............तहसील.................... ....नगर................................जिला...............उत्तर प्रदेश राज्य की ....जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) /संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ....तहसील...........................नगर.................जिला.....................में सामान्यतया रहता है।

स्थान

दिनॉक

मुहर

हस्ताक्षर...........................

पूरा नाम...........................

पदनाम...........................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त

जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य

वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/

जिला समाज कल्याण अधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in